बिजॉय दास

बनाम

पश्चिमी बंगाल राज्य

(आपराधिक अपील सं. 188/2008)

निर्णय दिनांक 28 जनवरी, 2008

(डॉ अरिजीत पसायत एवं पी. सदाशिवम, न्यायाधिपतिगण)

धारा 302 भा.द.स.- पीडित को आग्नेयास्त्र की चोटें- उसकी पत्नी घटना की गवाह- पीडित ने गवाहान व डॉक्टर को अभियुक्त का नाम हमलावर के रूप में बताया- पीडित के बयान अनुसंधान अधिकारी द्वारा अस्पताल में लेखबद्घ किये जाते समय अभियुक्त का नाम हमलावर के रूप में बताया- विचारण न्यायालय ने धारा 302 भा.द.सं. में दोषसिद्धि व दण्डादेश आजीवन कारावास दिया- उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि- अभिनिर्धारित यदि मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय होने पर गवाहान से पुष्टि आवश्यक नहीं और दोषसिद्धि स्थिर रह सकती है- मृत्युकालिक कथन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं- विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा फायर की चोटों के कारण अभियुक्त की मृत्यु होना पाया।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872- मृत्युकालिक कथन।

अपीलार्थी को धारा 302 भा.द.सं. व 25/27 आयुध अधिनियम में अभियोजित किया गया। अभियोजन कहानी के अनुसार गवाह पी.ड.4 के पति को अपीलार्थी ने गोली मारी। पीडित को अस्पताल ले जाया गया। पीडित ने डॉक्टर, पी.ड.14 तथा पी.ड.6, 8 व 9 को भी यह बताया कि अपीलार्थी ने गोली मारी है। अनुसंधान अधिकारी ने पीडित के बयान लेखबद्घ किये उसमें भी अपीलार्थी का नाम बतौर हमलावर बताया। कुछ दिन बाद पीडित की मौत चोटों के कारण हो गयी। विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य पर विश्वास किया और अपीलार्थी को धारा 302 भा.द.सं. में आजीवन कारावास की सजा दी। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि व सजा को पुष्ट किया।

अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि गवाह पी.ड.4 के बयानों की विश्वसनीयता नहीं है तथा गवाह पी.ड.6, 8, 9 व 14 के बयानों को मृत्युकालिक कथन नहीं माना जा सकता। फिर भी अपील न्यायालय ने खारिज की।

अपील खारिज की गयी, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 यदि मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय है तो किसी भी गवाह से संपुष्टि की आवश्यकता नहीं और केवलमात्र मृत्युकालिक कथन के आधार पर दोषसिद्धि कारित की जा सकती है। प्रकरण में मृत्युकालिक कथन पर

अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। विशेषतः, जहाँ पर दोनों के मध्य निरंतरता हो। यह भी कोई कारण नहीं है कि डॉक्टर व अन्य गवाहान झूंठे कथन मृत्युकालिक कथन के संबंध में क्यों करेंगे। ऐसा भी कोई आरोप नहीं है कि अभियुक्त व अन्य व्यक्तियों के मध्य आपसी रंजिश हो (पैरा 11 व 7) (93-जी, 90-सी) संदर्भित मामले जिन पर विश्वास किया- मुथु कुट्टी बनाम राज्य (2005)9 एस सी सी 113, नारायण सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2004(2) एस सी आर 115, बाबूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2003)12 एस सी सी 490, रवि बनाम तमिलनाडू राज्य (2004)10 एस सी सी 776

1.2 कि गवाह पी.ड.6 व 8 ने स्पष्ट रूप से यह बताया कि मृतक ने मृत्यु पूर्व यह कथन किया था कि अपीलार्थी ने ही चोटें कारित की हैं। विशेष रूप से उपचाराधीन प्रपत्रों, पी.ड.14 ने भी विशेष रूप से यह कथन किया कि अभियुक्त ने ही हमला किया था। गवाह पी.ड.14 ने भी यह बताया है कि जब वह अपने पति का घर के बाहर इंतजार कर रही थी उस समय मृतक साईकिल पर आया, उसने यह भी बताया कि अपीलार्थी मृतक का पीछा कर रहा था और आग्नेयास्त्र चोट कारित की। यदि पी.ड.4, 6, 8 व 9 के बयानों का विश्लेषण किया जावे तो यह अपरिहार्य निष्कर्ष आता है कि विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का सही विवेचन किया

कि अपीलार्थी की आग्नेयास्त्र चोटों के कारण ही मृतक की मृत्यु हुई थी। (पैरा 12) (93-एच, 94-ए-सी)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 188/2008

कलकत्ता उच्च न्यायालय के सी.आर.ए. संख्या 230/2001 में अंतिम निर्णय दिनांकित 07.07.2006 से उत्पन्न।

राना मुखर्जी, डी भारत कुमार, आनंद इन्द्रानी व अभिजीत सेन गुप्ता अपीलार्थी की ओर से

अविजीत भट्टाचार्य प्रत्यर्थी राज्य की ओर से।

अरिजीत पसायत, जे.

1. अनुमति दी गयी।

2. इस अपील के माध्यम से कलकत्ता उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश जिसमें दोषसिद्धि व सजा को पुष्ट किया गया तथा अपीलार्थी को धारा 302 भा.द.सं. 1860 (संक्षेप में भा.द.सं.) में आजीवन कारावास को पुष्ट किया गया।

3.संक्षेप में अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 28.09.1993 को समय 6.45 से 7.00 पी.एम. सिसिर कुमार दास उर्फ अजॉय जिसे बाद में मृतक संबोधित किया जायेगा, को अपीलार्थी ने मृतक के घर कॉलेज पारा के सामने गोली मार दी। उसे तत्काल अस्पताल ले

जाया गया जहाँ 10 दिन बाद चोटों के कारण मृत्यु हो गयी, सत्यरंजन दास (पी.ड.1) जो अजॉय का चचेरा भाई है, को एक स्थानीय बच्चे से घटना के बारे में सूचना प्राप्त हुई कि अजॉय अस्पताल में भर्ती है और उसके सौतेले चाचा बिजॉय दास ने गोली मार दी है। इसके बाद पुलिस थाना रायजंग में शिकायत की, दिनांक 28.09.1993 को स्थानीय पुलिस थाने को समय 19.50 बजे सत्य रंजन दास की शिकायत के आधार पर उपनिरीक्षक एस प्रधान पुलिस थाना रायजंग द्वारा अनुसंधान शुरु किया गया और अनुसंधान के दौरान उसने घटनास्थल को देखा, पीडित अजॉय द्वारा उपयोग की गयी साईकिल की फर्दजप्ती बनाई, पीडित को अस्पताल में देखा तथा घटना के गवाहान के बयान लेखबद्घ किये गये। दिनांक 28.09.1993 को समय 19.50 बजे पुलिस उपनिरीक्षक एस. प्रधान, पुलिस थाना रायजंग को रंजनदास का लिखित परिवाद प्राप्त होने पर अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया, पीडित द्वारा उपयोग की गयी साईकिल को जप्त किया, अस्पताल में अजॉय एवं अन्य चश्मदीद साक्षीगण के बयान लेखबद्घ किये। ड्यूटी डॉक्टर को अजॉय द्वारा दिया गया मृत्युकालिक कथन प्राप्त किया, साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट संकलित की। अंततः अपीलार्थी के विरूद्घ धारा 302 भा.द.सं. एवं 25/27 आयुध अधिनियम 1959 का नतीजा पेश किया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने धारा 302 भा.द.सं. व 25/27 आयुध

अधिनियम का आरोप विरचित कर अपीलार्थी को समझाया, अपीलार्थी ने दोषी न होने का अभिवाक कर अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन पक्ष ने अन्वीक्षा के दौरान कुल 16 गवाहान को परीक्षित कराया जिनमें पी.ड.1 प्रथम सूचना रिपोर्ट कर्ता, पी.ड.4 मृतक की पत्नी जो घटना की चश्मदीद गवाह है तथा पी.ड.6, 8 व पी.ड.9 जिन्हें मृतक अजॉय ने बताया था कि उसे अपीलार्थी ने गोली मारी थी। अभियोजन ने चिकित्सीय साक्षी पी.ड.14 डॉ. जीबान कृष्णा भादुरी जिसने अजॉय का ऑपरेशन किया तथा अजॉय का मृत्युकालिक कथन लेखबद्घ किया जिसमें उसने अपीलार्थी को हमलावर बताया था। गवाह पी.ड.15 डॉ. रस बेहारी घोष ने पोस्टमार्टम परीक्षण तथा पी.ड.16 अनुसंधान अधिकारी को परीक्षित कराया। अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य के साथ-साथ विचारण न्यायालय के समक्ष लिखित परिवाद जो पी.ड.1 ने पेश किया था, के अतिरिक्त उपचाराधीन प्रपत्र, जिसमें अजॉय का मृत्युकालिक कथन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व कई जप्ती सूचियाँ शामिल थी, पेश किया।

विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य व दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार कर अपीलार्थी को भा.द.सं. की धारा 302 में दोषी ठहराया। यद्यपि विचारण न्यायालय को आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के आरोप के लिए पर्याप्त साक्ष्य सामग्री नहीं मिली।

4. विचारण न्यायालय ने पीडित की पत्नी पी.ड.4 के साथ पी.ड.6, 8, 9 व पी.ड. 1 की साक्ष्य पर विश्वास किया। यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक ने अस्पताल में इलाज के दौरान स्पष्ट रूप से बताया था कि अपीलार्थी ने ही हमला किया था। विचारण न्यायालय ने इस दलील में कोई सार नहीं पाया कि पी.ड.1 ने झूंठा मामला थोपा हो।

5. उच्च न्यायालय ने, जैसा कि ऊपर वर्णित किया है, अपील खारिज कर दी थी।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के समर्थन में बताया कि गवाह पी.ड.4 की साक्ष्य में विश्वसनीयता का अभाव है। पी.ड.6, 8, 9 व 14 के कथन मृत्युकालिक कथन नहीं माने जा सकते। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट- राज्य ने निर्णय का समर्थन किया।

7. मरने से पहले दिये गये बयानों में एकरूपता होने पर संदेह का कारण दर्शित नहीं होता है। हमें यह भी कोई कारण नहीं दर्शित होता कि डॉक्टर या अन्य गवाहान मृत्युकालिक कथन के बारे में गलत बयान क्यों देंगे। अभियुक्त व इन व्यक्तियों के मध्य कोई रंजिश नहीं थी।

जैसा कि इस न्यायालय ने नारायण सिंह बनाम हरियाणा राज्य एआईआर पैरा 7 (एससीसी पेज 267, पैरा 7)

"अपनी मृत्यु के करीब पहुंच चुके किसी व्यक्ति द्वारा मृत्यु पूर्व दिया गया बयान एक विशेष पवित्रता रखता है क्योंकि उस गंभीर

क्षण में किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी असत्य बयान देने की संभावना सबसे कम होती है। आसन्न मृत्यु की छाया स्वयं उसकी मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में मृतक के बयान की सत्यता की गारंटी है, लेकिन साथ ही किसी भी अन्य साक्ष्य की तरह मृत्यु पूर्व बयान को साक्ष्य में ग्राह्य होने के लिए विश्वसनीयता की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। क्योंकि अभियुक्त को बयान की सत्यता का खण्डन करने का अवसर नहीं मिलता है। यदि मृत्युकालिक बयान विश्वसनीय है तो यह दोषसिद्धि का आधार हो सकता है।"

8.बाबूलाल बनाम मध्यप्रदेश राज्य (2003(12) एससीसी 490) के पैरा सं.7 पेज 494 में इस न्यायालय ने व्यक्त किया है कि-

"एक व्यक्ति जो आसन्न मृत्यु का सामना कर रहा है, इस दुनिया में जीवित रहने की संभावना क्षीण है, झूंठ का हर उद्देश्य नष्ट हो जाता है। सच बोलने के लिए सबसे शक्तिशाली नैतिक कारणों से मन बदल जाता है। एक मरते हुए व्यक्ति के शब्दों में बडी गंभीरता और पवित्रता जुडी होती है क्योंकि एक व्यक्ति मृत्यु के कगार पर होता है किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए झूंठ बोलने या कोई मामला गढने की संभावना नहीं है। कहावत है, "कोई व्यक्ति भगवान से मुंह में झूंठ लेकर नहीं

मिलेगा" (नीमो मोरिटुरस प्रेसुमितूर मेंटिन)। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा कि "सच्चाई मरते हुए व्यक्ति के होठों पर होती है।" सामान्य सिद्घांत यह है कि ऐसे साक्ष्य को स्वीकार किया जाता है वह यह है कि वे चरम सीमा पर की गयी घोषणायें हैं, जब पक्षकार मृत्यु शय्या पर होता है और जब इस दुनिया की हर उम्मीद खत्म हो जाती है, जब हर मकसद झूंठ को खामोश कर देता है और मन को सच बोलने के लिए सबसे शक्तिशाली विचार से प्रेरित किया जाता है, कानूनन ऐसे कथन को न्यायालय यह मानता है जैसे न्यायालय में दिलाई गयी सकारात्मक शपथ द्वारा किया गया कथन हो।"

9. रवि बनाम तमिलनाडू राज्य ((2004(10) एससीसी 776) में न्यायालय ने व्यक्त किया कि- (एससीसी पेज 777, पैरा 3)

"यदि मृत्युकालिक कथन की सत्यता पर संदेह नहीं किया जाता है तो केवलमात्र उसके आधार पर अभियुक्त को दोषी माना जा सकता है तथा उसकी संपुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है।"

10. मुथु कुट्टी बनाम राज्य (2005(9) एससीसी 113) के पैरा सं.15 में न्यायालय ने पाया कि- (एससीसी पीपी 120-21)

"15. हालांकि मृत्युकालिक बयान को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि आरोपी के पास जिरह करने

की कोई शक्ति नहीं है। शपथ के दायित्व के रूप में सच्चाई जानने के लिए ऐसी शक्ति आवश्यक है। इसलिए न्यायालय इस बात पर भी जोर देता है कि मृत्युकालिक बयान इस प्रकार का होना चाहिए कि न्यायालय को उसकी शुद्घता पर पूरा भरोसा हो। न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना होगा कि मृतक के बयान किसी शिक्षण, संकेत या कल्पना के कारण न हो। न्यायालय को इस बात से भी संतुष्ट होना चाहिए कि मृतक की मानसिक स्थिति ऐसी हो कि हमलावर को स्पष्ट रूप से देखा व पहचाना जा सकता हो। जब न्यायालय संतुष्ट है कि मृत्युकालिक कथन सत्य व स्वैच्छिक था तो निःसंदेह वह बिना अतिरिक्त संपुष्टि के सजा का आधार बनाया जा सकता है।"

कानूनन यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि बिना संपुष्टि के मृत्युकालिक कथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। संपुष्टि की आवश्यकता केवलमात्र प्रज्ञा का नियम है। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में मृत्युकालिक बयान को नियंत्रित करने वाले सिद्घांत अभिनिर्धारित किये हैं, जिन्हें निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है जैसा कि पानीबेन बनाम गुजरात राज्य (1992(2) एससीसी) 474 में बताया गया है।(एससीसी पृष्ठ 480-81, पैरा 18-19)

(i) कानून व विवेक का यह नियम नहीं है कि मृत्युकालिक बयान पर बिना संपुष्टि के कार्यवाही नहीं की जा सकती। (मुन्नू राजा बनाम मध्य प्रदेश राज्य देखें (1976(3) एससीसी 104)

(ii) यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि मृत्युकालिक बयान सत्य और स्वैच्छिक है तो वह बिना किसी संपुष्टि के दोषसिद्धि का आधार बन सकता है। (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सागर यादव और रमावती देवी बनाम बिहार राज्य देखें (1985(1) एससीसी 552)

(iii) न्यायालय को मृत्युकालिक बयान को सावधानीपूर्वक परख कर सुनिश्चित करना होगा कि मृत्युकालिक बयान, शिक्षण, प्रलोभन या कल्पना का परिणाम नहीं है। मृतक को हमलावरों को देखने और पहचानने का अवसर मिला और वह मृत्युकालिक कथन करने के लिए सक्षम अवस्था में था। (देखें रामचन्द्र रेड्डी बनाम लोक अभियोजक (1976(3) एससीसी 618)

(iv) जहां मृत्यु पूर्व दिया गया बयान संदेहास्पद हो, वहां पुष्टिकारक साक्ष्य के बिना उस पर कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। (देखें रशीद बेग बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1974(4) एससीसी 264)

(v) जहां मृतक ने बेहोशी के दौरान मृत्युकालिक कथन किया है, वहां पर ऐसी साक्ष्य को खारिज किया गया। (देखें काके सिंह मध्य प्रदेश राज्य (1981 सप्ली. एससीसी 25)

(vi) मृत्युकालिक बयान, जो कमजोरी से ग्रस्त है, दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता। (देखें राम मनोरथ बनाम यूपी राज्य (1981(2) एससीसी 654)

(vii) जहां मृत्युकालिक बयानों में घटना का विवरण नहीं दिया गया है, इस आधार पर बयान अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। (देखें महाराष्ट्र राज्य बनाम कृष्णमूर्ति लक्ष्मीपति नायडू (1980 सप्ली. एससीसी 455)

(viii) इसी प्रकार, जहां बयान संक्षिप्त हैं, खारिज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि कथन की संक्षिप्तता ही सत्यता की गारंटी देती है। (देखें सूरजदेव ओझा बनाम बिहार राज्य (1980 सप्ली. एससीसी 769)

(ix) आमतौर पर न्यायालय संतुष्टि के लिए कि मृतक मानसिक स्थिति में है या नहीं, मृत्युकालिक बयान देने के लिए सक्षमता हेतु चिकित्सकीय राय का सहारा लेती है। लेकिन जहां प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मृत्युकालिक कथन करते समय मृतक पूरी तरह स्वस्थ और होश में था वहां चिकित्सीय राय अभिभावी नहीं हो सकती। (देखें नन्हाऊ राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1988 सप्ली. एससीसी 152)

(x) जहां अभियोजन पक्ष का बयान मृत्युकालिक बयान से भिन्न है, वहां उक्त बयान पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। (देखें यूपी राज्य बनाम मदन मोहन (1989(3) एससीसी 390)

(xi) जहां एक से अधिक बयान मृत्युकालिक कथन के रूप में हैं, वहां पहले वाले बयान समयानुसार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। निःसंदेह, यदि मृत्युकालिक कथन सत्य व विश्वसनीय है तो बहुसंख्यक बयान को भी स्वीकारना चाहिए। (देखें मोहनलाल गंगाराम गेहानी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1982(1) एससीसी 700)"

11. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों, जिनमें से कुछ का उल्लेख ऊपर किया गया है, के अवलोकन से पता चलता है कि यदि मृत्युकालिक बयान विश्वसनीय पाया जाता है तो किसी भी गवाह द्वारा संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है, और इस आधार पर दोषसिद्धि कायम रखी जा सकती है।

12. अभियोजन साक्षी पी.ड.6, 8 व 9 स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मृतक ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले घटना का खुलासा किया था कि अपीलार्थी ने ही चोटें पहुंचाई थी। इसके अतिरिक्त प्रदर्शित किये गये उपचाराधीन प्रपत्रों में पी.ड.14 ने मृतक के बयान में स्पष्ट रूप से अंकन किया कि उस पर आरोपी द्वारा हमला किया गया था। पी.ड.14 का साक्ष्य इस आशय का था कि वह अपने घर के सामने खडी होकर अपने पति का इंतजार कर रही थी तब मृतक साईकिल से आ रहा था। अपीलार्थी मृतक का पीछा कर रहा था और उसने ही गोली चलाई। यदि पी.ड.4, 6, 8 व 9 के साक्ष्य का विवेचन किये जाने पर यह संदेह रहित प्रकट होता है कि

विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य का सही विवेचन किया था कि अपीलार्थी द्वारा चलाई गयी गोली के परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई थी।

13. इस प्रकार अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुमरथ लाल मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।